CANCELLED CANCELLED

समक्ष न्यायालय श्रीमान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ग्वालियर, केण्ट जबलपुर म.प्र.

राजस्व निगरानी क्र– /2016

A-7176-I-16

25 JUL 2016

श्री मो. आबिद पिता श्री मोहम्मद युनुस
निवासी– म.नं. 720 पुराना, नया 477, उडिया मोहल्ला
छोटी मस्जिद के पास, छोटी ओमती, आठ नल के सामने
तह. व जिला जबलपुर म.प्र. **निगरानीकर्ता**

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन द्वारा
श्रीमान कलेक्टर जबलपुर म.प्र.
2. श्री रसीद खॉ पिता बाबू खॉ एवं अन्य 3
निवासी– म.नं. 476/1, उडिया मोहल्ला
छोटी मस्जिद के पास छोटी ओमती आठ
नल के सामने तह. व जिला जबलपुर **प्रत्यर्थीगण**

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 47 (क) (5) उपधारा 8 भारतीय स्टाम्प अधिनियम।

यह निगरानी प्रकरण विचारण न्यायालय श्रीमान कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक जबलपुर म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्र. 189/बी–103/33/2014–15 जिसमे पक्षकार म.प्र. शासन विरूद्ध रसीद खॉ एवं अन्य मे पारित आलोच्य आदेश दिनांक 29/09/2015 से क्षुब्ध एवं परिवेदित होकर निम्नांकित अपील प्रस्तुत की जा रही है :–

निगरानी प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, विक्रेता रसीद खॉ पिता श्री बब्बू खॉ व 3 अन्य ने सहमतिकर्ता नफीसा बी पति स्व. श्री मो. शहीद उर्फ कल्लू खॉ के साथ मिलकर विक्रित संपत्ति नजूल ब्लाक नं. 94, प्लाट नं. 47/16 रकवा 2450 वर्गफुट में से अपने अविभाजित हक व हिस्से में से रकवा 251 वर्गफुट एवं विक्रेता क्र. 2 में से अविभाजित हिस्सा 324 इस प्रकार कुल 575 खाली

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 7176–एक/2016 अपील

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
10/4/19	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ । अवलोकन किया गया । यह अपील कलेक्टर आफ स्टाम्पस् जिला जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 189/बी–103/14–15 में पारित आदेश 29–9–15 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है। २/ म०प्र०शासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय भोपाल व्दारा म०प्र० राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18 सितम्बर 2018 में प्रकाशित अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनयम 1899 की धारा 40 की उपधारा (1) के खंड (घ) में किये गये संशोधन के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर आफ स्टाम्पस् व्दारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील राजस्व आयुक्त को होगी । तद्नुसार प्रकरण आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सुनवाई हेतु अंतरित किया जाता है। पक्षकार आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के न्यायालय में दिनांक 28–5–2019 को उपस्थित रहें। सदस्य आयुक्त, जबलपुर संभाग,	